

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 93/2022

आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड, सैकिण्ड फ्लोर, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, एच0एस0बी0सी0 बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल।

--- प्रार्थी बैंक

बनाम

1. अब्दुल हमीद पुत्र खुर्शीद अहमद,  
प्रथम पता पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, झुंझुनूं 333011
2. श्रीमती शाहमज बानो पत्नि अब्दुल हमीद,  
प्रथम पता पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, झुंझुनूं 333011  
द्वितीय पता- 117, सम्पूर्ण ग्राम लादूसर, झुंझुनूं 333011

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणी की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध में।

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री कंचनसिंह चौधरी, श्री रोताश कुमार- प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

### आदेश

दिनांक 10.11.2022

प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी ( अब्दुल हमीद ) को प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये ऋण अनुबन्ध संख्या 22885166 के तहत सम्पत्ति बंधक रख ऋण प्रदान किया गया था। इसलिए प्रार्थी बैंक उक्त ऋण बाबत सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है। कैपिटल फर्स्ट होम फाईनेन्स लिमिटेड का प्रार्थी बैंक में विलय के समस्त दस्तावेजात् की प्रमाणित मोटो प्रतियां पत्रावली के साथ सलग्न है। प्रार्थी बैंक के यहां ऋणी अप्रार्थीगण ने ऋण हेतु आवेदन किया था जिस पर प्रार्थी बैंक के यहां अप्रार्थी द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 165.75 वर्गगज को बंधक रख निम्न वर्णित ऋण खातें

Sr. No.	Loan A/c No.	Agreement Date	Sanction Amount	NPA Date
1	22885166	27.11.2018	5,28,000 / -	09.09.2021

के तहत ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी जिसे अप्रार्थीगण-ऋणियों द्वारा मासिक किश्तों में प्रार्थी बैंक को वापस अदा करना था। प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थी के मालिकाना हक की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 165.75 वर्गगज के हक के मूल दस्तावेजात् आदि प्रार्थी बैंक पास ऋण की सिक्योरिटी पेटे बंधक रखे गये थे। प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण राशि को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप तय मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया अर्थात् नियमित मासिक किश्तों में व्यतिक्रम किया। इस कारण ऋणी का ऋण खाता अक्रियान्वित आस्ति की श्रेणी में ( NPA ) वर्गीकृत हो गया। ऋणी के ऋण खाते अक्रियान्वित आस्ति ( NPA ) की श्रेणी में दिनांक 09.09.2021 को

61


वर्गीकृत होने के कारण प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणियों को दिनांक 04.12.2021 का लिखा नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 07.12.2021 को भिजवाया गया तथा धारा 13 ( 2 ) के नोटिस का हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में दिनांक 17.12.2021 को प्रकाशन किया गया। जिसके तहत ऋणियों को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर ऋण की बकाया राशि 5,85,638.01/- ( अक्षरे पाचं लाख पिच्चासी हजार छःसौ अडतीस रूपये एक पैसे ) मय आगामी ब्याज प्रार्थी बैंक को अदा करने हेतु सूचित किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण/ऋणियों ने उपरोक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 13 ( 2 ) की विधिवत् सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् ना तो किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया एवं ना ही नोटिस का कोई जबाब ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक को भिजवाया गया तथा किसी प्रकार की कोई उज्रदारी प्रार्थी बैंक को इस संदर्भ में ऋणियों से प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण से उक्त राशि मय आगामी ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी वसूली हेतु प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों की बंधक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 165.75 वर्गगज का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है जिनको निलाम कर प्रार्थी बैंक ऋण राशि की वसूली कर सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि माननीय न्यायालय प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 165.75 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में नजरुद्दीन पुत्र नूरास्ता, उत्तर में नजरुद्दीन पुत्र कुरेस्ता, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक है जो कानूनी रूप से सम्पत्ति को कुर्क करवाने व बेचान करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को भौतिक रूप से कुर्क करने हेतु प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस सहायता दिलवाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। अन्य कोई आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी बैंक के हक में पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 के विरुद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।


हमने प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के



पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 1 अब्दुल हमीद के मालिकाना हक की अचल संपत्ति पट्टा नम्बर 89, वार्ड नं0 09, ग्राम लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 165.75 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में नजरुद्दीन पुत्र नूरास्ता, उत्तर में नजरुद्दीन पुत्र कुरेस्ता, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है का पजेशन प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 ( एल0एस0कुडी )  
 जिला कलेक्टर एवं  
 जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

आज्ञा से

  
 पाठक

जिला कलेक्टर, झुंझुनू